न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 01/2017
जीसीएमएसः– 2017/00012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.कालुराम पुत्र होथी । 2.दरियादेवी पत्नी कालाराम जाति मेघवाल निवासी डडूसन तह–सांचौर जिला सांचौर		1. मानाराम पुत्र दूदाजी । 2. भाना पुत्र दूदाजी जाति मेगवाल निवासी बावरला तह–सांचौर जिला सांचौर। 3. तहसीलदार भूमिधारी सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
तारीख रजू:– 09.01.2017

उपस्थितः–
1. श्री भीमाराम चौधरी प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री जोधाराम चौधरी।
4. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर।

दिनांक 23.07.2024

निर्णय

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा बावरला के खेत खसरा नम्बर 964/1 रकबा 1.13 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम का कालुराम पुत्र होथीजी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा का आया हुआ है। जो राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया हुआ है तथा खेत खसरा नम्बर 1406/965 रकबा 0.16 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम का दरियादेवी पत्नी कालाराम के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा का आया हुआ है। एक खसरान का एक चक में आए हुये है। तथा प्रार्थीगण पति–पत्नी है। तथा प्रार्थीगण को एक दूसरे की पैरोकारी मंजूर है तथा खेत भी एक ही चक में आए हुये है। खसरा नम्बर 964/1 रकबा 1.13 हैक्टयर के पूर्व दिशा में अप्रार्थी मानाराम पुत्र दूदाराम का खेत आया हुआ है तथा खेत खसरा नम्बर 1406/965 रकबा 0.16 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 964/1 रकबा 1.13 हैक्टयर के पश्चिमी दिशा में माना पुत्र दूदा मेगवाल का खेत आया हुआ है। उक्त खसरान के पश्चिम दिशा की तरफ से अप्रार्थीगण हमेशा माठ तोड़ते रहते है तथा खेत खरस नम्बर 964/1 के पूर्व तरफ मानाराम पुत्र दूदा अप्रार्थी जो हमेशा माठ तोड़ता रहता है तथा दखलंन्दाजी करते है। जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की माठ तोड़कर माठ को अपने खेत में मिलाना चाहते है। प्रार्थीगण एक सीधे सादे इंसान है। तथा किसी प्रकार के फौजदारी विवाद में नही पड़ना चाहते है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेतों की पत्थरगड्डी करवाना चाहते है। अतः खसरान् के पश्चिमी दिशा की माठ पर नाप कर पत्थगड्डी करवाने का तहसीलदार सांचौर को आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2017 को दर्ज रजिस्टर होकर किया गया था। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी[illegible] 01 ता 03 को प्रर्याप्त अवसर देने बावजूद जवाब पेश नही करने पर [illegible] गया है। अप्रार्थी संख्या 02 की और से जवाब प्रस्तुत किया कि [illegible] द्वारा [illegible] चाही गई रिलीफ प्रार्थीगण को प्रदान की जाती है तो मुझे अप्रार्थी संख्या 02 भाना को कोई आपत्ति या एतराज नही।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण में अपने प्रार्थना पत्र के साथ ट्रैस नक्शा व जमाबंदी संलग्न की है

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:40:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिसका अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी खेत मौजा बावरला के खेत खसरा नम्बर 964/1 रकबा 1.13 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम तथा खेत खसरा नम्बर 1406/965 रकबा 0.16 हैक्टयर आई हुई है। जिससे प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत की सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ्ढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा पेश धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा मौजा बावरला के खेत खसरा नम्बर 964/1 रकबा 1.13 हैक्टयर भूमि के पूर्वी माठ तथा खेत खसरा नम्बर 1406/965 रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि के पश्चिमी माठ का पड़ौसी खातेदारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढ्ढी करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उक्त आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:40:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner